(99)

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश

पत्रांकः-9/RCH-191/2010-260 (MD) नामकुम, राँची, दिनांकः- 28.02.2013

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदनोपरान्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति में आवश्यक दवाओं, उपकरणों, मुद्रण एवं अन्य सामग्रियों के क्रय अथवा दर निर्धारण हेतु होनेवाली निविदा के निष्पादन के लिए समिति को पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं०-720(HSN) राँची, दिनांक-04.06.2010 के क्रम में पुनर्गठित किया जाता है। पुनर्गठित होने के उपरान्त समिति निम्नवत् होगी-

1) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ - अध्यक्ष
2) आन्तरिक वित्त सलाहकार, स्वा० एवं प० क० वि० झारखण्ड सरकार - सदस्य
3) निदेशक वित्त, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड - सदस्य
4) निदेशक प्रमुख, औषधि नियंत्रक (दवाओं के क्रय हेतु) - सदस्य
5) राज्य आर० सी० एच० पदाधिकारी - सदस्य
6) प्रशासी पदाधिकारी (स्वा० एवं प० क० विभाग) झारखण्ड सरकार - सदस्य
7) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के नामित पदाधिकारी - सदस्य
8) क्रय सामग्री से संबंधित पदाधिकारी/कोषांग/कार्यक्रम प्रभारी - सदस्य
9) अध्यक्ष आवश्यकतानुसार एक सदस्य को विशेषज्ञ के रूप में नामित कर सकेंगे।

उपर्युक्त समिति को Pre bid meeting, निविदा खोलने, तकनीकी एवं मूल्यभागों का मूल्यांकन, प्राप्त नमूनों का परीक्षण तथा वित्तीय एवं NRHM Guide lines के आधार पर दरों का निर्धारण करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
अभियान निदेशक
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति,
झारखण्ड, नामकुम, राँची।